समाचार पत्रों की कतरनें

मार्च 2025

डीसी ने जिला में सख्ती से सड़क सुरक्षा कानून लागू करने के दिए निर्देश

ओवर स्पीड-लापरवाही से वाहन चलाने पर होगी कार्रवाई

हिमाचल दस्तक ▮ ऊना

उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने शुक्रवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला में सड़क सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला में ओवर स्पीड और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के साथ सख्ती से निपटने को कहा, ताकि दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके। जतिन लाल ने जिले में सड़कों को सुरक्षित, अतिक्रमण मुक्त तथा यातायात को जोखिम रहित बनाने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण से काम करने की बात कही।

उन्होंने दुर्घनाओं में कमी लाने के लिए संबंधित विभागों को पूर्व सुधारात्मक कदम उठाने तथा यातायात

नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिला के सभी एसडीएम को हर सप्ताह अपने क्षेत्राधिकार के स्कूलों में सड़क सुरक्षा नियमों पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सड़क सुरक्षा नियमों बारे जागरूक हो सकें। साथ ही आयोजित होने वाले जागरूकता शिविरों की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजने को कहा। उन्होंने एनएच विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पंजाब से ऊना की तरफ आने वाले सड़क मार्ग पर अजोली फ्लाईओवर के समीप साईन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए आसानी रहे। इसके साथ ही उन्होंने जिला में रोड़ किनारे स्थित स्कूलों के समीप स्पीड ब्रेकर और अन्य सुरक्षा सांकेतिक बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए।

ब्लैक स्पॉट सुधारने के निर्देश

उपायुक्त ने सभी उपमंडलाधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में दुर्घटना संभावित स्थलों एवं ब्लैक स्पॉट की पहचान करके उन्हें सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर दुर्घटना संभावित स्थलों पर आवश्यकता अनुसार सीसीटीवी कैमरे तथा क्रैश बैरियर, पैरापेट, लाइट रिफलेक्टर और स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं।

स्कूली वाहनों में हों कंडक्टर

उपायुक्त ने स्कूली वाहनों की फिटनेस तथा चालकों द्वारा यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि हर स्कूली वाहन में अनिवार्य तौर पर कंडक्टर हो। इसकी अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल संचालकों से बैठक कर यह व्यवस्था सुनिश्चित बनाने को कहा।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–01–03–2025
पेज न0–10, कालम–3,4,5,6

तारादेवी में 146 लोगों ने पास किया ड्राइविंग टेस्ट

शिमला। तारादेवी में परिवहन विभाग ने शुक्रवार को ड्राइविंग टेस्ट और वाहनों की पासिंग के लिए फिटनेस जांची। इस दौरान 146 लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास किया। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों में 12 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा दो दिनों में 81 वाहनों की फिटनेस जांची गई। एमवीआई पंकज सिंह ने बताया कि दो दिनों तक वाहनों की जांच और शिमला शहरी, ग्रामीण और आरटीओ शिमला के अधीन आवेदन करने वालों के टेस्ट लिए गए। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक–01–03–2025
पेज न0–04, कालम–1

रोड एक्सीडेंट में घायलों को इसी माह से मिलेगा फ्री इलाज

1.5 लाख तक खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, निजी अस्पतालों के लिए भी अनिवार्य

एजेंसी ■ नई दिल्ली

रोड एक्सीडेंट में घायलों को इसी महीने यानी मार्च 2025 से डेढ़ लाख रुपये तक का फ्री इलाज मिलेगा। यह नियम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी अनिवार्य होगा। देशभर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। एनएचएआई इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, योजना के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में पहले ही संशोधन हो चुका है। इस योजना को पूरी तरह से लागू करने से पहले बीते 5 महीनों में पुड्डूचेरी, असम, हरियाणा और पंजाब सहित छह राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, जो सफल रहा।

एनएचआई ऑफिसर ने बताया कि घायल को पुलिस या कोई आम नागरिक या संस्था जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचाएगी, उसका इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोई फीस भी जमा नहीं करनी होगी। घायलों के साथ चाहे परिजन हो या नहीं, हॉस्पिटल उसकी देखरेख करेंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही हॉस्पिटल को कैशलेस इलाज देना होगा। नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना लॉन्च की थी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 को रोड एक्सीडेंट पीड़ितों को कैशलेस इलाज देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट कैशलेस ट्रीटमेंट योजना शुरू किया था। इसके बाद 7 जनवरी 2025 को गडकरी ने योजना को देशभर में ऑफिशियली लॉन्च करने की घोषणा की। इससे देश में कहीं भी रोड एक्सीडेंट होने पर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भारत सरकार की ओर से अधिकतम 1.5 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। जिससे वह 7 दिनों तक अस्पताल में इलाज करा सकेगा।

● *हरियाणा–पंजाब समेत 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट सफल*

डेढ़ लाख रुपये से ऊपर का खर्चा खुद उठाना होगा

डेढ़ लाख से ऊपर खर्च पर खुद पैसे देने होंगे अस्पताल को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रेफर करना है तो उस अस्पताल को सुनिश्चित करना होगा कि जहां रेफर किया जा रहा है, वहां मरीज को दाखिला मिले। डेढ़ लाख तक कैशलेस इलाज होने के बाद उसके भुगतान में नोडल एजेंसी के रूप में एनएचएआई काम करेगा, यानी इलाज के बाद मरीज या उनके परिजन को डेढ़ लाख तक की रकम का भुगतान नहीं करना है। यदि इलाज में डेढ़ लाख से ज्यादा का खर्च आता है तो बढ़ा बिल मरीज या परिजन को भरना होगा। सूत्रों का कहना है कि कोशिश यह हो रही है कि डेढ़ लाख की राशि को बढ़ाकर 2 लाख तक किया जा सके।

दुर्घटना के बाद का एक घंटा होता है 'गोल्डन ऑवर'

दरअसल, दुर्घटना के बाद का एक घंटा 'गोल्डन ऑवर' कहलाता है। इस दौरान इलाज न मिल पाने से कई मौतें हो जाती हैं। इसी को कम करने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है। समय पर इलाज न मिलने से मरने वालों की संख्या ज्यादा भारत में 2023 में लगभग 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में मारे गए। 2024 में जनवरी-अक्तूबर के बीच 1.2 लाख जानें गईं। 30-40 प्रतिशत लोग समय पर इलाज न मिलने से दम तोड़ देते हैं। वहीं, सड़क हादसे के घायलों के इलाज में औसतन 50,000 से 2 लाख रुपये का खर्च आता है। गंभीर मामलों में खर्च 5-10 लाख तक पहुंच जाता है। डेढ़ लाख तक फ्री इलाज की योजना से हर साल करीब 10 हजार करोड़ का बोझ पड़ने का अनुमान है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–03–03–2025

पेज न0–09, कालम–3,4,5

सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत रिवालसर कॉलेज में करवाई गतिविधियां

हिमचाल दस्तक ▪ नेरचौक

राजकीय डिग्री महाविद्यालय रिवालसर में महाविद्यालय के रोड सेफ्टी क्लब ने सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें नारा लेखन, पोस्टर मेकिंग तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नारा लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर बीकॉम द्वितीय वर्ष की मनु, द्वितीय स्थान पर बीकॉम द्वितीय वर्ष की निधि तथा तृतीय स्थान पर बीए प्रथम वर्ष की दीपिका विजेता रही।

वहीं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर बीए तृतीय वर्ष की तरुणा, द्वितीय स्थान पर बीए तृतीय वर्ष की काजल तथा तृतीय स्थान पर बीकॉम द्वितीय वर्ष का प्रणव विजेता रहा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर टीम-डी जिसमें बीकॉम तृतीय वर्ष के यतीन शर्मा व बीए द्वितीय वर्ष के नमन शर्मा, द्वितीय स्थान पर टीम-सी जिसमें बीए तृतीय वर्ष की काजल व द्वितीय वर्ष की पूजा,

तृतीय स्थान पर बीकॉम तृतीय वर्ष के रवि व बीए प्रथम वर्ष की दीपिका विजेता रहे।

सभी प्रतियोगिताओं के मूल्यांकन के लिए निर्णायक मंडल की भूमिका में प्रो. मनोज कुमार व प्रो. यश पाल ने अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में रोड सेफ्टी क्लब के समन्वयक प्रो. यश पाल रोड सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम व प्रश्नोत्तरी का संचालन किया। कार्यक्रम में मुख्यतिथि के रूप में डॉ. केसी कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–05–03–2025

पेज न0–04, कालम–4,5

दो स्कूल टैक्सियों के चालान

शिमला। जिले में सरकारी और निजी स्कूल के विद्यार्थियों की सुरक्षा के मानकों की जांच के लिए परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाया। आरटीओ शिमला अनिल कुमार शर्मा की अगुवाई में टीम ने ताराहाल स्कूल में निजी और सरकारी स्कूलों की 21 बसों तथा टैक्सियों की जांच की।

जांच राजधानी शिमला में ताराहाल स्कूल में बसों की जांच करते आरटीओ। संवाद

इसमें दो स्कूल टैक्सियों के चालान काटे गए हैं। इसमें एक वाहन बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का मिला जबकि एक वाहन में चालक बिना वर्दी का था। निरीक्षण के दौरान ज्यादातर बसों और टैक्सियों में सुरक्षा मानकों का पालन होने की बात सामने आई है। निरीक्षण के दौरान स्कूल के बच्चों को छोड़ने में प्रयोग हो रही एचआरटीसी बसों की जांच भी की गई। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक–06–03–2025

पेज न0–03, कालम–1

12.96 लाख गाड़ियों के चालान पेंडिंग

प्रदेश भर में वाहन मालिकों ने पांच साल से नहीं किया भुगतान

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

प्रदेश में 12.96 लाख वाहन चालकों के चालान पेंडिंग पड़े हैं। वाहन चालकों ने पिछले पांच साल से इन चालानों का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में अब ट्रैफिक टूरिस्ट पुलिस की ओर पेंडिंग पड़े चलानों का निपटारा करने के लिए वाहन चालकों को लोक अदालत में पेंडिंग चालानों का निपटारा करने के लिए मैसेजे भेजे जा रहे हैं। प्रदेश में 2019 से 2024 तक 12 लाख 96 हजार 691 वाहन चालकों के चालान अभी पेंडिंग पड़े हैं। इनमें सबसे अधिक शिमला में 321888 चालान, दूसरे नंबर पर कुल्लू में 237916 चालान, तीसरे नंबर पर मंडी में 139767 चालान और चौथे नंबर पर पुलिस जिला बद्दी में 133504 चालान लंबित पड़े हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 90564 चालान, चंबा में 26377, हमीरपुर में 62728, कांगड़ा में 72280, किन्नौर में 34205, लाहुल-स्पीति में 13505, पुलिस जिला नुरपुर में 6160, सिरमौर में 36865, सोलन में 84233, ऊना में 35419 व फलाइंग स्क्वायड के 1280 चालान पेंडिंग हैं। प्रदेश में आठ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश राज्य में सभी अध्यक्षों (जिला न्यायाधीशों), जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से हिमाचल प्रदेश पुलिस और परिवहन विभाग के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करने का कहा गया है। उधर, एआईजी टीटीआर विनोद कुमार का कहना है कि पेंडिंग चालानों का निपटारा करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा वाहन चालकों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुफ्त कानूनी सहायता या जानकारी के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।

- शिमला, कुल्लू, मंडी में सबसे ज्यादा मामले लंबित
- आठ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालतों में होगा निपटारा

दिव्य हिमाचल , दिनांक–06–03–2025
पेज न0–04, कालम–1,2,3

31 मार्च से पहले रोड टैक्स जमा नहीं करवाया तो देनी होगी पेनल्टी

हिमाचल दस्तक ■ बिलासपुर

31 दिसंबर 2021 से पहले लंबित विशेष पथ कर अर्थात स्पेशल रोड टैक्स को लेकर परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को अंतिम नोटिस जारी कर 31 मार्च से पहले दस प्रतिशत पेनल्टी के साथ जमा करवाने के लिए का कड़ा नोटिस जारी किया है। अगर वाहन मालिकों ने 31 मार्च तक लंबित विशेष पथ कर समय रहते जमा नहीं करवाया तो उनका वाहन जब्त होगा व देरी से भुगतान करने पर पेनल्टी के साथ इसे अदा करना होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2022 से पहले विशेष पथ कर अर्थात स्पेशल रोड टैक्स आबकारी एवं कराधान विभाग के पास जमा होता था। 1 जनवरी 2022 के बाद विशेष पथ कर को परिवहन विभाग को स्थानांतरित किया गया। लेकिन इससे पहले वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण इसे जमा नहीं करवा पाए हैं। विशेष पथ कर आरटीओ कार्यालय के अलावा उपमंडल स्तर पर आरएलए में भी जमा होता है।

जिस कारण परिवहन विभाग ने आरएलए कार्यालयों से भी डाटा सांझा करने को कहा है। हालांकि बिलासपुर में परिवहन विभाग के पास लगभग 6500 वाहन पंजीकृत है। जिसमें करीब 2500 वाहनों का विशेष पथ कर लंबित है, जो लाखों में हो सकता है। इसमें आरएलए के पास पंजीकृत वाहनों का आंकड़ा अलग से है।

■ परिवहन विभाग ने जारी किया अंतिम नोटिस

विभाग द्वारा लंबित विशेष पथ कर जमा करने के संबंध में अंतिम नोटिस जारी किया गया है। इसके तहत यदि निर्धारित समय तक कर जमा नहीं किया जाता है, तो संबंधित वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही देरी से भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माने के साथ कर राशि देय होगी। परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 दिसंबर 2021 से पहले पंजीकृत सभी अनुबंधित वाहनों के लिए विशेष पथ कर जमा करना अनिवार्य है। वाहन मालिकों को चाहिए कि वे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए 31 मार्च से पहले 10 प्रतिशत पेनल्टी के साथ इसे जमा करवाएं।

\- राजेश कौशल
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–06–03–2025
पेज न0–07, कालम–4,5

टैक्स नहीं दिया तो सौ फीसदी लगेगी पेनल्टी

विभाग ने पैसेंजर टैक्स जमा न करने पर चेताया

शिमला। पैसेंजर गुड्स टैक्स जमा नहीं करवाने वाले मालवाहक वाहनों के मालिकों को परिवहन विभाग ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है।

विभाग ने साफ किया है कि 30 दिसंबर 2021 तक का बकाया पैसेंजर गुड्स टैक्स 31 मार्च तक जमा नहीं करवाने वाले वाहन मालिकों से इसके बाद 100 फीसदी पेनल्टी के साथ टैक्स वसूला जाएगा। पैसेंजर गुड्स टैक्स (पीजीटी) पहले आबकारी एवं कराधान विभाग वसूल करता था लेकिन अब इसकी वसूली परिवहन विभाग करता है। बड़ी संख्या में मालवाहक मालिक ऐसे हैं, जिन्होंने

वर्ष 2021 से पहले का टैक्स नहीं किया है जमा

वर्ष 2021 से पहले का टैक्स जमा नहीं करवाया है। वर्तमान में वाहन मालिक दस फीसदी पेनल्टी के साथ टैक्स जमा करवा सकते हैं। शिमला में आरटीओ कार्यालय में इसके लिए विशेष काउंटर स्थापित किया है।

आरटीओ शिमला अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि यह वाहन मालिकों के लिए कम पेनल्टी में टैक्स जमा करवाने का बेहतरीन मौका है। इसके बाद बकाया राशि पर सौ फीसदी पेनल्टी के साथ टैक्स वसूला जाएगा। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक–07–03–2025
पेज न0–04, कालम–2,3

परिवहन विभाग ने 27 स्कूल टैक्सियों का जांचा रिकॉर्ड

शिमला। परिवहन विभाग ने विशेष अभियान के तहत वीरवार को सेंट एडवर्ड स्कूल के लिए चलने वाली स्कूल टैक्सियों का निरीक्षण किया। इस दौरान करीब 27 वाहनों का रिकॉर्ड जांचा गया।

आरटीओ शिमला अनिल कुमार की अगुवाई में टीम ने दोपहर 1:00 बजे से 1:30 बजे तक विभिन्न क्षेत्रों से स्कूल के लिए चलने वाली टैक्सियों की जांच की। जांच के दौरान सभी टैक्सियों का रिकॉर्ड दुरुस्त पाया गया है। साथ ही स्कूल प्रबंधन के पास भी स्कूल टैक्सियों को लेकर पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध था। इसके साथ यातायात नियमों की जानकारी दी गई। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक–07–03–2025
पेज न0–02, कालम–3

सोलन–हमीरपुर में 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू

वरिष्ठ संवाददाता ■ शिमला

■ नया वाहन खरीदने पर टैक्स में 25 फीसदी तक मिलेगी छूट

■ 2026 तक सरकार ने टैक्स में दी राहत, दुर्घटनाएं रोकने को लिया फैसला

प्रदेश के सोलन व हमीरपुर जिला में 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू हो गई है। पहली बार लोग अपने पुराने वाहनों को बेचकर सड़कों पर अपने नए वाहनों को ला सकते हैं। पहली बार हिमाचल में स्क्रैपिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। बड़ी बात यह है कि पुराने वाहनों को बेचने वाले लोगों को रोड टैक्स व अन्य टोल टैक्स में 25 फीसदी तक छूट दी जाएगी।

राज्य सरकार ने यह छूट वर्ष 2026 तक बढ़ा दी है, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी होने के बाद नई गाड़ी खरीदते वक्त ऑनर को वहां से मिलने वाले प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना होगा। इसके आधार पर 9 फरवरी, 2024 को जारी हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 14 की उप-धारा (3) के तहत नई गाड़ी खरीदने पर (टोकन टैक्स/रोड टैक्स और स्पेशल रोड टैक्स) में गैर-परिवहन वाहनों पर 25 फीसदी और परिवहन वाहनों पर 15 फीसदी छूट की सुविधा मिलेगी।

ऐसे में अब पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर वाहन मालिक मार्च 2026 तक छूट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा के लिए पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सड़क से हटाने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लागू की गई है, लेकिन पहले हिमाचल में आरवीएसएफ सेंटर की सुविधा ना होने के कारण बाहरी राज्यों में ही वाहनों की स्क्रैपिंग की जा रही थी, जिसके लिए प्रदेश से 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहनों की बोली लगाकर बाहरी राज्यों में स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाता रहा है, लेकिन अब पहली बार प्रदेश में ही वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने सोलन और हमीरपुर की दो कंपनियों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर शुरू करने के लिए सर्टिफिकेट जारी किया है, जिसके बाद अब 19 फरवरी से इन दोनों ही रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर्स में 15 साल पुराने सरकारी और प्राइवेट वाहनों की स्क्रैपिंग का कार्य शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद चयनित कंपनी की टीम व्हीकल ऑनर से संपर्क करेगी।

इस दौरान व्हीकल से संबंधित पूरी जानकारी लेने के बाद क्रेन सर्विस की मदद से वाहन को स्क्रैपिंग सेंटर तक ले जाएगी। वाहन की आधी से ज्यादा कीमत स्पॉट पर ही व्हीकल ऑनर को दी जाएगी, बाकी की पेमेंट स्क्रैपिंग सेंटर पर व्हीकल रिसीव होने पर दी जाएगी। गाड़ी के रिसीव होने पर 7 दिन में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी होगा। वहीं गाड़ी की आरसी भी स्क्रैप सेंटर पर ही कैंसिल होगी। हिमाचल में वाहन को स्क्रैप के लिए बेचने से ऑनर को क्रेन सर्विस में ही पैसे की काफी बचत होगी।

स्क्रैपिंग आवेदन की प्रक्रिया

प्रदेश में वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी केवल सरकारी गाड़ियों पर ही लागू है, लेकिन अगर कोई निजी वाहन मालिक स्वेच्छा से अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाना चाहता है तो इसके लिए सरकार के आरवीएसएफ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

सभी जिलों में खुलेंगे स्क्रैपिंग सेंटर

प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र खोले जाने की योजना है, लेकिन अभी पहले चरण में सोलन और हमीरपुर दो जिलों में यह केंद्र स्थापित किए गए हैं।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–09–03–2025
पेज न0–06, कालम–3,4,5,6

लोगों को पढ़ाया सड़क सुरक्षा का पाठ

शिमला। तारादेवी में ड्राइविंग टेस्ट के दौरान टेस्ट देने के लिए लोगों के लिए परिवहन विभाग ने जागरुकता शिविर का आयोजन किया। इसमें लोगों को वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई।

कार्यक्रम में आरटीओ अनिल कुमार शर्मा ने लोगों को जागरुक किया। उन्होंने लोगों को बताया कि वाहन धीमी गति से चलाएं तथा यातायात नियमों का पालन करें। जागरुकता कार्यक्रम में करीब 70 लोगों ने भाग लिया। ब्यूरो

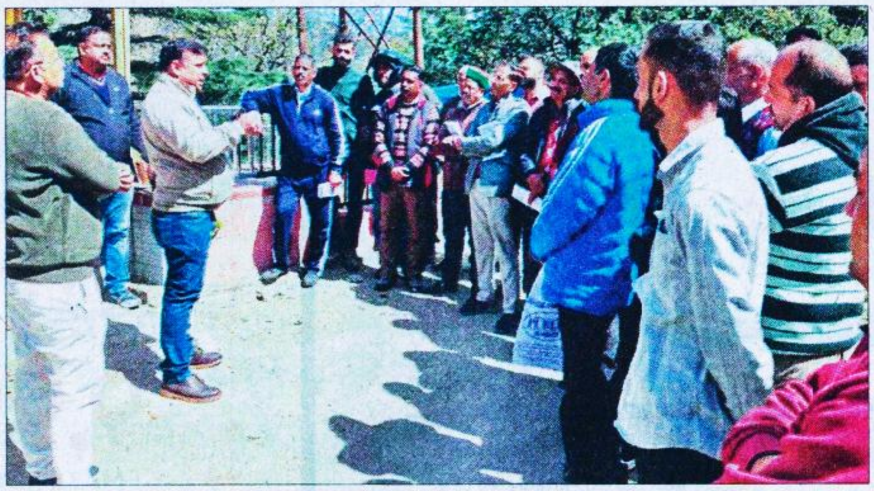

शिमला के तारादेवी में आरटीओ अनिल कुमार लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए। अमर उजाला

अमर उजाला, दिनांक–19.03.2025
पेज न0–4, कालम– 3,4

मंडियाघाट स्कूल में छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों बारे किया जागरूक

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ▮ राजगढ़

शिक्षा खंड राजगढ़ के तहत राजकीय माध्यमिक स्कूल मंडियाघाट में सड़क सुरक्षा क्लब मंडियाघाट द्वारा विद्यार्थियों के लिय एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन आयोजित किया गया।

स्कूल अध्यापक विपुल दानी ने बताया कि इस जागरूकता शिविर में राजगढ़ ट्रैफिक इंचार्ज कुलवंत सिंह ने स्कूल में आ क र विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

▮ सड़क सुरक्षा का अर्थ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों से : कुलवंत सिंह

कुलवंत सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा का अर्थ यातायात दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों से हैं।

सड़क सुरक्षा के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए रणनीति बनाई जाती है, जिसके लिए वाहनों की गति तथा क्षमता नियंत्रण जैसे उपायों को अपनाया जाता है। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्य कई महत्वपूर्ण नियमों का निर्माण किया गया है जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल का हर समय ध्यान रखना, दोपहिया वाहनों के लिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी होता है। स्कूल के प्रधानाचार्य भाग सिंह ने भी छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–21–03–2025

पेज न0–09, कालम–1,2,3

आईआरडीए मोबाइल ऐप के संबंध में कार्यशाला आयोजित

सोलन। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में वीरवार को एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस (आईआरडीए) मोबाइल ऐप के संदर्भ में परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य व सड़क विभाग के जिला स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला की अध्यक्षता जिला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन सुरेंद्र ठाकुर ने की। सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आईआरडीए मोबाइल ऐप का उद्देश्य जिला के प्रत्येक भाग से दुर्घटना डाटाबेस को एकत्रित कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इससे जहां लोगों को सड़क दुर्घटना की जानकारी मिलेगी, वहीं सड़क सुरक्षा पर बेहतर नीति निर्माण में भी सहायता मिलेगी। विभाग सड़क दुर्घटना से संबंधित जानकारी आईआरडीए पर भरना सुनिश्चित करें ताकि सड़क सुरक्षा में सुधार किया जा सके।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–21–03–2025
पेज न0–09, कालम–3

परिवहन विभाग प्रदेश में ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की कर रहा तैयारी

कैमरे करेंगे वाहनों की जांच, नहीं लगाने पर कटेगा चालान

हिमाचल दस्तक ▮ नाहन

हिमाचल प्रदेश में अब जल्द ही ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। लिहाजा, अब सभी प्रकार के वाहनों में चाहे वह पर्सनल हो या कमर्शियल, चाहे वे दो पहिया हो या तिपहिया या फिर चौपहिया। इन सभी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी.) लगी होना अनिवार्य हो गया है।

जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी होगी, उनके वाहनों का केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के अंतर्गत चालान हो सकता है। इसके साथ साथ वाहन संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा। दरअसल, ई-डिटेक्शन सिस्टम एक ऐसा अत्याधुनिक निगरानी तंत्र है, जिसे विशेष रूप से हाईवे पर वाहन चलाते समय कागजातों की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके टोल प्लाजा पर गुजरने वाली हर गाड़ी के दस्तावेजों की जांच करता है।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011-12 से सभी वाहनों में एचएसआरपी लगानी अनिवार्य हो गई थी। एचएसआरपी की विशेषता यह है कि यह उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम से बनी होती है, जिसमें एक लेजर कोड और एक स्थायी पहचान संख्या और पंजीकरण चिह्न शामिल होता है। प्लेट में रिफ्लेक्टिव शीट का उपयोग होता है, जो रात में और कम रोशनी की स्थिति में दृश्यता सुनिश्चित करती हैं। ये सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत उपयोगी है। प्लेटों का रंग वाहन के प्रकार और उसकी पंजीकरण श्रेणी से मेल खाता है, जिससे त्वरित दृश्य पहचान में मदद मिलती है।

उधर आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने बताया कि जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है, वह तुरंत ही अपने वाहनों में इसे लगाना सुनिश्चित करें, अन्यथा चालान होंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन मालिक संबंधित वाहन कंपनी के किसी भी नजदीकी डीलर से निर्धारित फीस जमा करवा कर एचएसआरपी बनवा सकते हैं।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–24–03–2025
पेज न0–04, कालम–3,4

छात्रों को सड़क सुरक्षा नियम बताए

कोटशेरा कॉलेज में सड़क सुरक्षा सेमिनार का आयोजन

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

शिमला के कोटशेरा कॉलेज में सोमवार को सड़क सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया। जिसमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनिल शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में युवाओं को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरुक किया गया। इसका आयोजन कॉलेज के सड़क सुरक्षा क्लब द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और युवा पीढ़ी में नियमों के प्रति सजगता पैदा करना था।

प्राचार्य डॉ गोपाल चौहान ने बताया कि आजकल वाहनों की बढ़ती संख्या और व्यस्त शहरी जीवन के बीच सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लेना आवश्यक हो गया है। डॉ. चौहान ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक नियम नहीं, बल्कि जीवन बचाने का माध्यम है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनिल शर्मा ने युवाओं को सड़क पार करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग से बचने और **रुको, देखो और सुनो** जैसे मूल मंत्रों का पालन करने की सलाह दी। इसके अलावा विशेषज्ञों ने सेमिनार में बताया कि हेलमेट, सीट बेल्ट, निर्धारित गति सीमा और यातायात संकेतों का सख्ती से पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। आज के युवाओं में टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रयोग के कारण कई बार ध्यान भटकने की समस्या देखने को मिलती है। जिससे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। कार्यक्रम में छात्रों ने सवाल-जवाब सत्र में हिस्सा लेकर सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे।

हिमाचल दस्तक, दिनांक—25—03—2025
पेज न0—07, कालम—3,4,5

अब सभी वाहनों पर लागू होगा ई-डिटेक्शन सिस्टम

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ▮ बीबीएन

▪ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना होगा अनिवार्य

प्रदेश में ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। अब निजी व कमर्शियल सभी प्रकार के वाहनों पर पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होना अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी होगी उनके वाहनों का केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के अंतर्गत चालान हो सकता है। इसके साथ-साथ वाहन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा। यह सिस्टम सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके टोल प्लाजा पर गुजरने वाली हर गाड़ी के दस्तावेजों की जांच करता है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011-12 से सभी वाहनों में एचएसआरपी लगानी अनिवार्य की थी। इसकी विशेषता यह है कि यह उच्च गुणवत्ता वाले एल्युमीनियम से बनी होती है, जिसमें एक लेजर कोड और एक स्थायी पहचान संख्या और पंजीकरण चिह्न शामिल होता है। प्लेट में रिफ्लेक्टिव शीट का उपयोग होता है, जो रात में और कम रोशनी की स्थिति में दृश्यता सुनिश्चित करती हैं। ये सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत उपयोगी है। नालागढ़ के आरटीओ मदन शर्मा ने बताया कि जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है, वे तुरंत ही अपने वाहनों में इसे लगाना सुनिश्चित करें, अन्यथा चालान होंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन मालिक संबंधित वाहन कंपनी के किसी भी नजदीकी डीलर से निर्धारित फीस जमा करवा एचएसआरपी बनवा सकते हैं।

हिमाचल दस्तक, दिनांक—25—03—2025
पेज न0—05, कालम—4,5

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर होगा चालान

संवाद न्यूज एजेंसी

नालागढ़ (सोलन)। अब निजी और कमर्शियल सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होना अनिवार्य होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर अब चालान काटा जाएगा। इसके लिए प्रदेश ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसके तहत पहली बार पकड़े जाने पर 3,000 और दूसरी बार 7,000 रुपये चालान होगा।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से वाहन से संबंधित कोई भी काम नहीं करवाया जा सकेगा। यह सिस्टम सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके टोल प्लाजा पर गुजरने वाली हर गाड़ी के दस्तावेजों की जांच करता है।

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011-12 से सभी वाहनों में एचएसआरपी लगानी अनिवार्य की थी। इसकी विशेषता यह है कि यह प्लेट गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम से बनी होती है। इसमें एक लेजर कोड और एक स्थायी पहचान संख्या और पंजीकरण चिह्न होता है। प्लेट में रिफ्लेक्टिव शीट का उपयोग होता है, जो रात में और कम रोशनी की स्थिति में दृश्यता सुनिश्चित करती हैं। ये सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत उपयोगी है। इसका रंग वाहन के प्रकार और उसकी पंजीकरण श्रेणी से मेल खाता है।

पहली बार पकड़े जाने पर 3,000 और दूसरी बार 7,000 रुपये का होगा चालान

जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है, वह तुरंत ही अपने वाहनों में इसे लगाएं, अन्यथा चालान होंगे। ऐसे वाहन मालिक संबंधित वाहन कंपनी के किसी भी नजदीकी डीलर से निर्धारित फीस जमा करवाकर एचएसआरपी बनवा सकते हैं।

-मदन शर्मा, आरटीओ, नालागढ़

अमर उजाला, दिनांक–25.03.2025

पेज न0–4, कालम– 4,5

नेपाल की बस पकड़ी, 30 हजार का काटा चालान

शिमला। परिवहन विभाग ने शिमला में नेपाल की बस को अवैध रूप से आईएसबीटी के पास से सवारियां उठाते हुए पकड़ा है। आरटीओ शिमला की अगुवाई में जांच के दौरान विभाग की टीम ने बस को पकड़ा।

उचित दस्तावेज नहीं पाए जाने पर पहले विभाग ने बस को जब्त किया और इसके बाद करीब 30,000 रुपये का चालान वसूलने के बाद छोड़ा। विभाग ने चालक को चेताया है कि दोबारा नियमों का उल्लंघन पाया गया तो बस को जब्त कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग को सूचना मिली थी कि नेपाल की बसें आईएसबीटी के पास से रूट परमिट का उल्लंघन करते हुए सवारियों को बैठाने का काम करती हैं।

आरटीओ शिमला अनिल कुमार शर्मा ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर नेपाल की एक निजी बस को पकड़ा तो उसमें कुछ सवारियां पाई गई। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक–25.03.2025
पेज न0–3, कालम– 4

दुखद **शोघी-आनंदपुर-मैहली बाईपास पर हुए हादसे के बाद बचाव के लिए मौके पर पहुंचे लोग, शवों को देखकर सिहर उठे**

शील गांव हादसा : क्रैश बैरियर होते तो बच जाती चार अनमोल जिंदगियां

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। शोघी-आनंदपुर-मैहली बाईपास पर मंगलवार रात शील गांव में हुए सड़क हादसे ने चार अनमोल जिंदगियों को काल का ग्रास बना लिया। लोगों ने कहा कि अगर दुर्घटनास्थल पर क्रैश बैरियर होता तो शायद यह जिंदगियां बच जातीं।

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बचाव के लिए मौके पर पहुंचे लेकिन यहां हृदयविदारक हालात देखकर सिहर उठे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर सीधे सौ फीट खड़ी ढांक से गिरकर नाले में एक बड़े पत्थर के ऊपर जा गिरी। इस वजह से वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन में सवार चारों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। घटना स्थल के पास ही वर्कशॉप का काम करने वाले परवेश ने बताया कि वह और उनका एक दोस्त सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने फौरन मामले की सूचना पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि घटनास्थल तक पहुंचने के लिए ढांक से उतरकर पहुंचाना पड़ा जोकि काफी मुश्किल था।

अंधेरा होने की वजह से पुलिस को भी मौके तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद शवों को सड़क तक पहुंचाना चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसको देखते हुए एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को मौके पर शवों को निकालने के लिए बुलाया गया। अंधेरा और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण शवों को निकालने में कई घंटों का समय लग गया। देर रात तक यह कार्य चलता रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां पर क्रैश बैरियर भी नहीं थे। अगर क्रैश बैरियर होते तो जानी नुकसान कम हो सकता था। वहीं इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलने ही रात के समय परिजनों को सूचना मिलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना के मुताबिक मृतक रूपा सूर्यवंशी और प्रगति मां बेटी थे तो वहीं मुकुल भी उनके नजदीकी रिश्तेदार बताया जा रहा है जबकि जय सिंह पेशे से चालक था। वह भी संजौली का रहने वाला था।

पुलिस ने इस संबंध में केस दर्जकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार से मार्ग पर क्रैश बैरियर लगाने की मांग उठाई है, जिससे भविष्य में इस तरह के हादसे न हों।

देर रात आईजीएमसी पहुंचाए शव, पोस्टमार्टम आज

शिमला। शीलगांव सड़क हादसे में अंधेरे और खड़ी ढांक में उतरकर बचाव टीमों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद शवों को सड़क तक पहुंचाया। शवों को निकालने के लिए बचाव दल के सदस्यों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य को अंजाम दिया। इसके बाद शवों को आईजीएमसी अस्पताल ले जाया गया। सूचना के मुताबिक रात करीब 11:40 बजे शव अस्पताल लाए गए। रात होने के कारण पोस्टमार्टम की प्रक्रिया बुधवार को पूरी की जाएगी और इसके बाद ही शवों को परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक–26.03.2025

पेज न0–2, कालम– 1,2,3,4,5,6

एचआरटीसी के सात रूटों पर अब चलेंगी निजी बसें

एचआरटीसी ने 13 रुट किए हैं सरेंडर, सात रुटों के लिए आए थे 29 आवेदन, छह के लिए कोई नहीं

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। एचआरटीसी के 7 रूटों पर आने वाले दिनों में अब निजी बसें चलेंगी। परिवहन विभाग की रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में इन रूटों को निजी ऑपरेटरों को आवंटित कर दिया है।

निगम ने जिले में 13 रूट सरेंडर किए थे। इसमें से छह रूटों के लिए किसी भी ऑपरेटर ने आवेदन नहीं किया है जबकि सात रूटों के लिए 29 आवेदन आए थे। शिमल आरटीए (रिजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) की बैठक परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में आरटीओ शिमला अनिल कुमार शर्मा और निजी ऑपरेटर मौजूद रहे। सात रूटों के लिए एक से अधिक आवेदन आने पर ड्रॉ के माध्यम से रूटों को आवंटित किया गया। कल चयनित ऑपरेटरों को इस संबंध में आवंटन पत्र जारी कर दिए जाएंगे।

आवंटित रुटों पर तीन महीने के भीतर चलानी होंगी बसें

परिवहन विभाग के मुताबिक तीन महीने के भीतर निजी ऑपरेटरों को आवंटित रूटों पर बसों को चलाना होगा। वहीं अन्य छह रूटों के लिए दोबारा से आवेदन मांगे जाएंगे, जब तक निजी ऑपरेटर बसों का संचालन शुरू नहीं करेंगे, एचआरटीसी इन रूटों पर बसों का संचालन पहले की तरह करता रहेगा।

आरटीए की बैठक में जिन रूटों को निजी ऑपरेटों को दिया उनमें मंढोल-टिक्कर-रोहड़ू, डिब्बर-धरेच-न्यू आईएसबीटी, छमोलखड्ड-धरोगड़ा-शिमला, गिरिपुल-चायल-शिमला, गागनघाटी-ठियोग-शिमला, बनगढ़-कुफ्टू-शिमला, जुन्गा-मैहली-शिमला रूट शामिल हैं।

आरटीओ अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि आरटीए की बैठक में ड्रॉ के माध्यम से रूटों का आवंटन निजी ऑपरेटरों को कर दिया है। इसमें जिन रूटों के लिए आवेदन नहीं आए हैं, उनके लिए दोबारा से आवेदन मांगे जाएंगे।

अमर उजाला, दिनांक–27.03.2025

पेज न0–2, कालम– 2,3,4,5,6

अचानक चल पड़ी बच्चों से भरी स्कूल बस दसवीं के छात्र ने ब्रेक लगा बचाईं 40 जानें

ठियोग का मामला, बाहर खड़े थे चालक-परिचालक... कुछ बच्चों का किया जा रहा था इंतजार

ठियोग (शिमला)। ठियोग में 10वीं कक्षा के एक छात्र ने अपनी सूझबूझ से बड़े हादसे को टाला और 40 बच्चों और एक शिक्षक की जिंदगियां बचाईं। बुधवार सुबह ठियोग के रहीघाट में निजी स्कूल की एक बस बच्चों का इंतजार कर रही थी।

आदित्य

चालक और परिचालक बाहर खड़े थे। अचानक बस चलने लगी और एकाएक गति पकड़ने से अंदर बैठे 40 विद्यार्थी और अध्यापिका चिल्लाने लगे। बस के अंदर का शोर सुनते ही बाहर खड़े लोग भी सहम गए। इसी बस में सवार दसवीं कक्षा का विद्यार्थी आदित्य मेहता अपनी सीट से दौड़ कर चालक सीट पर पहुंचा और ब्रेक लगाकर बस को रोक दिया। इसी दौरान बस का चालक भी दौड़ कर बस के पास पहुंचा। आदित्य अगर बस के ब्रेक न लगाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय निवासी और पूर्व पार्षद विपिन वर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी बच्चों को बस में बिठाने गई थी। बस के चालक, परिचालक बाहर खड़े थे, लेकिन बस एकाएक चलने लगी, तो उनकी पत्नी जोर-जोर से चिल्लाई। आदित्य की सुझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। पूर्व पार्षद विपिन वर्मा ने स्कूल पहुंचकर चालक और परिचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों की बसों को लेकर विद्यालय प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। जिस तरह के हादसे पहले हो चुके हैं, उनसे भी सबक लेना चाहिए।

बच्चों के इंतजार में खड़ी बस। संवाद

स्कूल की प्रधानाचार्य आराधना भारद्वाज ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही विद्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद बस के चालक व परिचालक को नौकरी से निकाल दिया गया है। साथ ही इस मामले की शिकायत पुलिस थाना ठियोग में दर्ज करवाई गई है। संवाद

अमर उजाला, दिनांक–27.03.2025

पेज न0–1, कालम– 1,2,3

ठियोग में बिना ड्राइवर चल पड़ी स्कूल बस

स्टाफ रिपोर्टर-ठियोग

उपमंडल ठियोग के रहिघाट में बुधवार सुबह नौ बजे के करीब एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। हुआ यूं कि सुबह एक निजी स्कूल की बस रहिघाट में बच्चों को बिठाने के लिए रुकी। इस दौरान पूरी बस बच्चों से भरी हुई थी। मौके पर बस में विद्यालय की एक शिक्षक बच्चों के साथ थी लेकिन बस को खड़ा कर चालक और परिचालक उतर गए और कुछ समय में बस के पहिए खिसकना शुरू हो गए। इसके बाद बस ने रफ्तार पकड़ ली और बस रहिघाट कोट सड़क की ओर बढ़ने लगी। बस में बैठे सभी बच्चे घबरा गए, लेकिन दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए ब्रेक लगा दी। इसी दौरान बस का चालक भी दौड़ कर बस के पास पहुंच गया। अगर छात्र ब्रेक न लगाता, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय निवासी एवं पूर्व पार्षद विपिन वर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी बच्चों को बस में बिठाने गई थी और बस के चालक परिचालक बाहर खड़े थे, लेकिन बस एकाएक चलने लगी तो उनकी पत्नी जोर-जोर से चिल्लाई जिसके बाद वह घर से बाहर निकले। विपिन वर्मा ने स्कूल प्रशासन से चालक और परिचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

छात्र को नहीं आती गाड़ी चलानी

आपको बता दें कि दसवीं कक्षा के छात्र आदित्य ने भले ही बस की ब्रेक लगाकर उसे रोक दिया, लेकिन जब इस पूरे मामले में आदित्य से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है। लेकिन ब्रेक कहां है और कैसे लगानी है इसकी जानकारी उनको उनके पिता ने दी है। स्कूल में छात्र को सम्मानित किया गया।

नौकरी से निकाले ड्राइवर-कंडक्टर

विद्यालय की प्रधानाचार्य आराधना भारद्वाज ने बताया कि इस घटना की सूचना मिलते ही विद्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फैसला लिया गया कि बस के चालक व परिचालक दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया है। साथ ही इस मामले कि शिकायत पुलिस थाना ठियोग में दर्ज करवाई गई है। यह एक बड़ी गलती है, जिस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी।

दिव्य हिमाचल, दिनांक–27.03.2025
पेज न0–2, कालम– 1,2,3

हर जगह आदित्य के साहस को सलाम

ट्रिनिटी स्कूल के दसवीं क्लास के छात्र ने रोकी बस, राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग

स्टाफ रिपोर्टर-ठियोग

फालोअप

ट्रिनिटी स्कूल के दसवीं क्लास के आदित्य ने साहस दिखाते हुए पिछले कल खाई की ओर सरकती बस को ब्रेक मार कर रोकने का सराहनीय और साहसिक काम किया है उसके लिए ठियोग स्वयंसेवी संस्थानों ने उसे राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग की है। ठियोग की स्वयंसेवी संस्था मनीषा फाउंडेशन की संस्थापक मनीषा चौहान ने आदित्य को अपनी तरफसे लेपटॉप देने की घोषणा की है। पूर्व विधायक मेहर सिंह चौहान की पौत्री मनीषा ने कहा कि फाउंडेशन आदित्य ने जिस तरह अपनी जान की परवाह न करते हुए 40 बच्चों की जान बचाई है उसके लिए उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए जिसके लिए एक विशेष मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के तहत ठियोग की सभी स्वयंसेवी संस्थाएं को भी जोड़ा जाएगा। कल्ब अध्यक्ष दीप राम शर्मा ने आदित्य को क्लब की ओर से 5100 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। क्लब ने स्थानीय वि जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि साहसिक कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रपति वीरता पुसूस्कार के लिए नाम भेजा जाना चाहिए। शाली बाज़ार के व्यापारी वरुण सूद ने निजी तौर पर आदित्य को 1100 रुपए की नगद राशि देने की घोषणा की। स्कूल की समन्वयक सुनीता शर्मा ने बताया कि आदित्य बास्केटबाल ख खिलाड़ी है उसनें पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्तर की सैनिक स्कूल परीक्षा भी पास की थी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने फोन कर साहस को किया सलाम

स्कूल की प्रधानाचार्य आराधना भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने स्कूल प्रशासन को फोन पर बधाई दी है। आदित्य ने जिस तरह से मुश्किल समय में संयम का परिचय दिया है उसके लिए माता-पिता सहित स्कूल प्रशासन भी प्रशंसा का पात्र है। उन्होंने आदित्य को ग्यारह हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है।

> “ स्थानीय प्रशासन वीरता पुरस्कार के लिए नाम भेजने पर मंथन करेगा। दसवीं कक्षा के छात्र ने साहस दिखाते हुए दूसरे विद्यार्थियों को भी प्रेरित किया है।
>
> **मुकेश शर्मा, एसडीएम**

दिव्य हिमाचल, दिनांक–28.03.2025
पेज न0–3, कालम– 3,4,5,6

40 बच्चों की जान बचाने वाले आदित्य को वीरता पुरस्कार दिलाने की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने फोन कर दी शाबाशी; 11 हजार रुपये देने की भी घोषणा की, मनीषा फाउंडेशन लैपटॉप और रोटरी क्लब देगा 5,100 रुपये

संवाद न्यूज एजेंसी

ठियोग (रामपुर बुशहर)। चालक के उतरने के बाद 40 बच्चों से भरी स्कूल बस के अचानक चलने पर ब्रेक लगाकर कई जिंदगियां बचाने वाले खन्यूडी के आदित्य मेहता ने बुधवार को बहादुरी दिखाई थी। फागू के ट्रिनिटी स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले आदित्य के संयम और साहस पर स्वयंसेवी संस्थानों ने राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग उठाई है। वहीं, स्कूल की प्रधानाचार्य आराधना भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने फोन पर छात्र को शाबाशी दी है। उन्होंने कहा कि आदित्य ने जिस तरह से मुश्किल समय में संयम का परिचय दिया है, उसके लिए माता-पिता और स्कूल प्रशासन भी प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने आदित्य को 11 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से ठियोग की स्वयंसेवी संस्था मनीषा फाउंडेशन की संस्थापक मनीषा चौहान ने फोन पर आदित्य को बधाई देते हुए एक लैपटॉप देने की घोषणा की है और रोटरी क्लब ने 5,100 रुपये देने की घोषणा की है।

आदित्य मेहता की माता अनिता मेहता बासा ठियोग पंचायत की पूर्व प्रधान हैं, जबकि पिता जीत राम वाहन चालक हैं। स्कूल की समन्वयक सुनीता शर्मा ने बताया कि आदित्य बॉस्केटबाल के खिलाड़ी हैं और उसने पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्तर की सैनिक स्कूल परीक्षा भी पास की थी।

छात्र को पुरस्कार के लिए संस्थाएं चलाएंगी मुहिम

मनीषा फाउंडेशन की संस्थापक और पूर्व विधायक मेहर सिंह चौहान की पोती मनीषा ने कहा कि फाउंडेशन आदित्य ने जिस तरह अपनी जान की परवाह न करते हुए 40 बच्चों की जान बचाई है। उसे राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए। इसके लिए विशेष मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के तहत ठियोग की सभी स्वयंसेवी संस्थाएं जिला प्रशासन से मिलकर पुरस्कार के लिए आदित्य का नाम चयनित करने की मांग उठाएंगी। रोटरी क्लब के अध्यक्ष दीप राम शर्मा ने आदित्य को क्लब की ओर से 5,100 रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। क्लब एक विशेष समारोह में यह पुरस्कार राशि देगा। शाली बाजार के व्यापारी वरुण सूद ने निजी तौर पर आदित्य को 1,100 रुपये की नगद राशि देने की घोषणा की। स्वयंसेवी संस्था रिद्म बॉयज के अध्यक्ष विनीत सूद ने आदित्य के साहस की प्रशंसा करते हुए उसे राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार से सम्मानित करवाने की मांग की है। व्यापार मंडल ठियोग के अध्यक्ष अजय, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष विवेक थापर ने भी इस मांग का समर्थन किया है।

ठियोग में चालक के उतरने के बाद अचानक चल पड़ी थी बस आदित्य ने ब्रेक लगा रोकी थी

पूर्व सीएम ने कहा- छात्र ने मुश्किल समय में संयम का परिचय दिया

अमर उजाला फॉलोअप

अमर उजाला, दिनांक–27.03.2025
पेज न0–6, कालम– 1,2,3,4,5,6,7

20 अप्रैल से नहीं दौड़ेंगी प्राइवेट बसें

निजी बस आपरेटरों की चेतावनी, मांगें न मानी तो खड़ी करेंगे गाड़ियां

चीफ रिपोर्टर–शिमला

राज्य में निजी बस ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, तो 20 अप्रैल से वह लोग अपनी बसों को खड़ा कर देंगे। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा कि सरकार को सत्ता में आए तीन साल हो रहे हैं। प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर को अभी तक कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की है। सत्ता में आते ही तीन रुपए प्रति लीटर डीजल के रेट में इजाफा कर दिया। प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर ने इस पर कोई विरोध नहीं किया क्योंकि सरकार चलाने के लिए धनराशि की आवश्यकता पड़ती है इसलिए निजी बस ऑपरेटर चुप रहे। एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को जो 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है उससे प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर बसें नहीं चला पा रहे हैं। संघ ने कई बार प्रदेश सरकार को जानकारी दी है कि इस सुविधा का लाभ वो महिलाएं उठा रही हैं जो कि किराया देने में सक्षम हैं और अच्छी सैलेरी ले रही हैं, पूर्व भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान निजी बस ऑपरेटर को अपनी बसें चलाने के लिए प्रति बस दो लाख वर्किंग कैपिटल के रूप में बैंक से लोन दिलवाया था जिसकी एवज में सरकार द्वारा बैंक के ब्याज में अनुदान के तौर पर राहत देनी थी। उस पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ ने निदेशक परिवहन को कई बार लिखित रूप से अवगत करवाया है कि वर्किंग कैपिटल में जो सबसिडी ब्याज के रूप में निजी बस ऑपरेटर को देनी थी उसको एसआरटीसी में सम्मिलित किया जाए लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। न ही टैक्स में कोई राहत दी है। आपरेटरों ने सरकार से न्यूनतम किराया 15 रुपए करने की मांग की है। संघ ने उपमुख्यमंत्री के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर रविवार को निंजी बस ऑपरेटर द्वारा बस नहीं चलाई गई तो उनके परमिट रद्द किए जा सकते हैं लेकिन एचआरटीसी के उच्च अधिकारियों ने रविवार को कई बसों को न चलाने का फरमान जारी किया है।

- लगातार हो रही अनदेखी से निराश किराया भी नहीं बढ़ा रही सरकार

दिव्य हिमाचल, दिनांक–28.03.2025
पेज न0–4, कालम– 1,2,3